


11.08.2025 वकील प्रार्थीगण अनुपस्थित। न्यायालय
समय की समाप्ति तक पृथक-पृथक समय में वकील
समय बाड़ी/को आवाजे दिलवाई गई। लेकिन वकील
व प्रार्थी ^{प्रार्थी} में से कोई उपस्थित नहीं हुआ है। लिहाजा
प्रार्थी का वाद अदम पैरवी व अदम हाजिरी में
खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर
हो।


उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोचरा